

16.05.2023

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
Insurance Regulatory and Development Authority of India

प्रेस नोट
Press Note

प्रतिभू बीमा बांड बाजार का विकास करने की दिशा में उपाय
Measures towards developing Surety Insurance Bonds market

प्रतिभू बांड एक प्रकार की बीमा पालिसी हैं जो संविदा के भंग अथवा अन्य प्रकार के गैर-निष्पादन के कारण संभावित वित्तीय हानियों से किसी लेनदेन अथवा संविदा में संबद्ध पक्षकारों का संरक्षण करते हैं। वे विश्वसनीयता, गुणवत्ता बनाये रखने तथा संविदागत शर्तों के पालन के लिए एक जोखिम न्यूनीकरण साधन के रूप में काम आते हैं, तथा अंततः विशेष रूप से बुनियादी संरचना के क्षेत्र में परियोजनाओं के सुचारु कार्यचालन में और स्वस्थ व्यावसायिक परिवेश को प्रोत्साहित करने में योगदान करते हैं।

Surety Bonds are a type of insurance policy protecting parties involved in a transaction or contract from potential financial losses due to a breach of contract or other types of non-performance. They serve as a risk mitigation tool for maintaining integrity, quality, and adherence to contractual terms, ultimately contributing to the smooth functioning of projects especially in infrastructure sector and fostering a healthy business environment.

प्रतिभू बीमा बांडों के महत्व को स्वीकार करते हुए, आईआरडीएआई ने जनवरी 2022 में 'आईआरडीएआई (प्रतिभू बीमा संविदाएँ) दिशानिर्देश' जारी किये थे। प्राप्त विभिन्न अभ्यावेदनों के मूल्यांकन के आधार पर ऐसे उत्पादों के लिए लागू शोधन-क्षमता की अपेक्षा को पूर्व में निर्धारित 1.875 से घटाकर अब नियंत्रण स्तर का 1.5 गुना कर दिया गया है। इसके अलावा, बीमाकर्ता के द्वारा जोखिम-अंकित प्रत्येक संविदा पर लागू वर्तमान 30% की एक्सपोजर सीमा को भी हटाया गया है। ये संशोधन उन प्रीमियमों पर उच्चतम सीमा को हटानेवाली पूर्व की अधिसूचना का अनुसरण करते हैं, जो केवल प्रतिभू बीमा व्यवसाय करनेवाले एकल व्यवस्था (मोनो-लाइन) वाले बीमाकर्ताओं द्वारा एक वित्तीय वर्ष में जोखिम-अंकित किये जा सकते हैं।

Recognizing the importance of Surety Insurance Bonds, IRDAI had issued 'IRDAI (Surety Insurance Contracts) Guidelines' in January 2022. Basis the evaluation of various representations received, the solvency requirement applicable for such products has now been reduced to control level of 1.5 times from 1.875 previously prescribed. Further, the prevailing 30% exposure limit applicable on each contract underwritten by an insurer, has also been removed. These amendments follow the earlier notification removing the cap on premiums that could be underwritten in a financial year by mono-line insurers transacting only Surety Insurance Business.

वर्तमान संशोधनों का लक्ष्य अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों से बढ़ती हुई माँग को पूरा करने के लिए ऐसे उत्पादों की उपलब्धता को बढ़ाने तथा अधिक बीमाकर्ताओं के लिए अवसर का निर्माण करने के द्वारा प्रतिभू बीमा बाजार का विस्तार करने का है। प्रतिभू बीमा ठेकेदारों की चलनिधि को बढ़ाएगा तथा विशेष रूप से बुनियादी संरचना क्षेत्र को मजबूती से बढ़ावा देगा।

The current revisions are aimed to expand the Surety Insurance market by increasing the availability of such products and creating the opportunity for more Insurers to service the increasing demand from various sectors of the economy. Surety Insurance will increase liquidity of contractors and provide strong boost especially to the infrastructure sector.
